न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 42/2013/टीए

1. जीतमल आत्मज भगवान गाडरी
2. रतनलाल पिता आत्मज चतरभुज गाडरी
   दोनो निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. अमरचंद पिता भगवान गाडरी
2. घासी आत्मज हेमा गाडरी
3. हीरा आत्मज हेमा गाडरी
   तीनो निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. कजोड आत्मज हीरा गाडरी मृतक के बजाय–
   1. मगनीराम पिता कजोड गाडरी
   2. प्यारी पत्नि कजोड गाडरी
   3. गीता पुत्री कजोड गाडरी
      सभी निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. गंगा बेवा चतरभुज गाडरी
6. हजारी आत्मज भगवान गाडरी
   दोनो निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. शंकर आत्मज भगवान गाडरी मृतक के बजाय –
   1. कालु पिता शंकर गाडरी
   2. श्यामलाल पिता शंकर गाडरी
   3. काशी बेवा शंकर गाडरी
      सभी निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
8. राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
9. कालुसिह आत्मज रामसिंह गाडरी
   निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध आदेश न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 12.04.2013 प्रकरण सं. 38/2011

उपस्थित – 1. श्री सत्यनारायण ईनाणी – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट संख्या एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 धारा 151 जा0दी0 के अन्तर्गत एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारीज किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधार बिन्दुओ पर प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या 5 रतनलाल, विपक्षी संख्या 8 जीतमल से उसका हक पंजीकृत विक्रय दिनांक 22/01/2012 को खरीद चुका है जिससे वह भी अपीलान्ट बना है और दोनो अपीलान्ट यह अपील निम्न आधार बिन्दुओ पर प्रस्तुत है।

2. अधीनस्थ न्यायालय आदेश विधि एवं तथ्यो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई कार्यवाही नही की और न ही कोई आदेश ही नियमानुसार पारित किया गया। आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के अन्तर्गत सुस्पष्ट और पृथक आदेश पारित किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन के समर्थन मे उसे प्रमाणित करने हेतु अपीलान्ट को कोई अवसर ही प्रदान नही किया और दोनो पक्षो के कथन के आधार पर दखलदांजी की रिपोर्ट मंगवा कर उसे आधार बनाकर आदेश पारित कर दिया और प्रार्थी का आवेदन खारीज कर दिया जो न्यायोचित नही है। प्रकरण मे दोनो की साक्ष्य ली जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिये। इस प्रकरण मे अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस की जो वादी नही है उनकी नियमानुसार तामील तक नही हुई और न ही मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मे कोई विभाजन ही मौके दिया गया। पक्षकारान अनपढ है। राजस्व कर्मचारियो ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलकर मिलीभगत से बंटवाडा सूची तैयार कर ली। पटवारी हल्का द्वारा खाते रदोबदल करने की बात बताए जाने पर इस गलत डिक्री की जानकारी हुई जिससे अपीलान्टस ने इसे निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमे वादी के अतिरिक्त अन्य रेस्पोडेन्ट भी सहमत थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पक्ष को सुना भी नही गया और मनमकसुद आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12/04/2013 निरस्त फरमायी जावे एवं अपीलान्ट का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय बमामले प्रकरण संख्या 305/2010 रे.वा. निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि बंटवाडे के समय अपीलार्थी की उपस्थिति नही हुई। इस प्रकरण मे अंतिम डिक्री दिनांक 17/02/2011 को हुई है जिसमे बंटवाडे की मूल फाईल तलब नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पिकिग जजमेन्ट नही है केवल आदेशिका पर निर्णय पारित किया गया है। आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के विधिक आधार यह है कि सम्मन तामील ही नही है। मौके पर उपस्थिति दर्शा दी गई है। यदि प्रकरण मे साक्ष्य दी तो बेहतर निर्णय हो सकता था। बंटवाडा मीट्स एवं बाउण्डस के आधार पर निर्णय नही हुआ है। मूलवाद मे सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 16/03/2013 को पेश किया गया जबकि मूलवाद संख्या 305/2010 का निर्णय 31/05/2001 को पारित हुआ है जिसमे प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। तत्पश्चात् इसी प्रकरण मे अंतिम डिक्री जारी होने के बाद प्राथमिक डिक्री मे उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्राथमिक डिक्री की पत्रावली मे एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 20/04/1999 को होना बताया है। प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात् बंटवाडे के प्रस्ताव मंगाये गये है। तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षो को सूचित करने के पश्चात् बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाये है जिस पर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर है। इस सम्बन्ध मे कभी भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है। भूमि पर जहां जो बैठा है उसके आधार पर प्रस्ताव प्राप्त हुए है। अपीलान्ट ने दिनांक 24/04/2013 को जिला कलेक्टर को शिकायत की है जो उपखण्ड अधिकारी को जांच हेतु दे दी गई जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 29 पर उपलब्ध है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही भी न्यायसंगत नही है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की

जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 12/04/2013 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ